

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, भोजपुर, आरा

G.R. Case No. 1618/2026

Ara Nawada P.S. Case No. 371/2022

28.03.2026

सूचक अनुपस्थित है। अंतिम प्रतिवेदन पर जिला अभियोजन पदाधिकारी को सुना। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस काण्ड में अनुसंधानकर्ता द्वारा अंतिम प्रतिवेदन "सत्य सुत्रहीन" समर्पित किया गया।

सूचक को नोटिस निर्गत किया गया था। फिर भी आज तक न तो सूचक और न ही उनके विद्वान अधिवक्ता की ओर से कोई पैरवी की गई है। कांड दैनिकी के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र "सत्य सुत्रहीन" समर्पित किया गया है।

अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु पर्याप्त तथ्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में वाद को लंबित रखना उचित प्रतीत नहीं होता है।

यह अंतिम प्रपत्र (Final Form) इस आदेश के अधीन स्वीकार किया जाता है कि यदि भविष्य में विवेचनाधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन दिया जाता है, तो वह इस आदेश के अधीन होगा।

कार्यालय अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

मु0न्या0दण्डा0